माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर, मंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 5.1.2018 को प्रातः 10:00 बजे हुडा कन्वेन्सन हाल, सैक्टर–12, फरीदाबाद के सभागार में होने वाली जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की बैठक में विचार विमर्श के लिए रखे गए परिवादों का विवरणः–

क्र0 सं0	परिवादी का नाम	परिवाद का विवरण	परिवाद का जवाब	बैठक में लिया गया निर्णय।
तहसीलदार, बल्लबगढ़ (जिला राजस्व अधिकारी फरीदाबाद)				
1	श्री राज किशोर पुत्र श्री बीर सिंह निवासी गांव शाहजापुर, उप–तहसील मोहना। मो0–9818252152 CMOFF/N/2015/01277 **पथ्थला विधान सभा–85**	परिवादी की शिकायत है कि श्री मोहित मिश्रा, सिविल जज (जूनियर डिविजन) के आदेश दिनांक 15.09.2014 द्वारा प्रार्थी राज किशोर व विजय भूषण आर्य के हक में इन्तकाल दर्ज व मन्जूर किया जाये बारे दरखास्त उसने कपिल पटवारी को दी थी जो अब मौजूदा पटवारी के पास है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई जबकि इस बाबत किसी भी उच्च न्यायालय से कोई स्टे नही है। अतः मेरा शीघ्र काम करवाया जाये। **नोटः–(बैठक दिनांक 14.03.2017 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने तथा सम्बन्धित अधिकारी की रिपोर्ट देखने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने जिला राजस्व अधिकारी फरीदाबाद को आदेश दिये कि आवेदक का इन्तकाल ढ़ाई साल बाद मन्जूर किया गया और वह भी गलत किया गया। जिला राजस्व अधिकारी इन्तकाल से सम्बन्धित सभी पहलुओ पर विस्तष्त से जांच करके दोषी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करके रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर–अन्दर प्रस्तुत करे तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिये।** **नोटः–(बैठक दिनांक 19.05.2017 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त अध्यक्ष महोदय जी ने उसे निर्देश दिए कि वह उपायुक्त एवं जिला राजस्व अधिकारी से पुनः मिलकर अपना प्रार्थना पत्र दे कि वह क्या कार्यवाही चाहता है तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रार्थी द्वारा दिए गये आवेदन पत्र पर एक सप्ताह के**	इस मामले में अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जांच रिपोर्ट अनुसार हल्का पटवारी शाहजापुर श्री विंशम्बर को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया। जिला राजस्व अधिकारी फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि उपायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 28.12.2017 के अनुसार दोषी पटवारी को नियम –8 के तहत आरोपित किया गया है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त एंव शिकायतकर्ता द्वारा यह सहमति प्रकट की गई कि वह कार्यालय रिर्पोट से संतुष्ट है। अध्यक्ष महोदय ने शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।

		अन्दर–2 कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश पारित किए। नोटः–(बैठक दिनांक 11.09.2017 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद को उक्त मामले में कार्यवाही करके रिपोर्ट करने के आदेश दिये कि जो इन्तकाल किया गया है उस पर तारीख क्यो नही डाली गई। पटवारी की लापरवाही के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। शिकायतकर्ता को यह भी निर्देश दिये कि यदि उसका इन्तकाल तहसीलदार द्वारा गलत मन्जूर किया गया है तो वह दर्ज किये गये इन्तकाल को उच्च अधिकारीयों के सम्मुख अपील करके नियमानुसार **Contest** करे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला राजस्व अधिकारी को यह भी निर्देश दिये कि आमजन के इन्तकाल लम्बित ना रहे, समय पर निपटान किया जाये। सभी सम्बन्धित तहसीलदारों से इस बारे रिपोर्ट लेकर आगामी बैठक में अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिये।		
वरिष्ठ नगर योजनाकार, फरीदाबाद। सीवेज ट्रीटमेंट				
2	रामचन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री काशीराम निवासी म0 नं0 1785, सैक्टर–09 तथा रामसिंह पुत्र स्व0 श्री फकीर चन्द गांव खेडीकलां, जिला फरीदाबाद मो0– 9811699448 9250506552 पत्र क्रमांक 409/शिकायत दिनांक 03.04.2017 **तिगांव विधान सभा–90**	परिवादीगण की शिकायत है कि ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डरो ने बिना सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम के कन्ट्री एण्ड टाउन प्लानिंग विभाग, हरियाणा के कर्मचारियों से सांठगाठ करके लोगो को मकानो में बसाकर मानव जीवन खतरे में डालकर घ्रणित कार्य किया है। जब सोसाईटी के सैपटिक टैंक भर जाते है तो बिल्डर वैक्यूम मशीनो से सीवर का गन्दा पानी निकालकर वही आस–पास के एरिये में खाली कर देते है, जिससे बिमारी फेलती है, जिसके कारण गन्दा पानी फेलाने भू–जल भी प्रदूषित हो जाता है। अतः अन्त में	वरिष्ट नगर योजनाकार फरीदाबाद ने रिपोर्ट की हे कि दिनांक 11.09.2017 की बैठक में दिये गये निर्देश अनुसार सभी कोलोनाईजरों को भी निर्देश दिये गये कि वे सीवर का पानी डिस्पोज आफ करने वाले सभी टैन्कर्स में जी.पी.एस. लगवाये तथा इसकी एक प्रति पुलिस आयुक्त फरीदाबाद को भेजते हुए अनुरोध किया गया कि अगर किसी के द्वारा खुले में सीवर का पानी छोडा गया तो उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। कई कोलोनाईजरों ने सूचित किया है कि उनके द्वारा	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एंव विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने विभाग को आदेश दिये कि वह परिवादी को निजि तौर पर सुनने उपरान्त कार्यवाही करके आगामी बैठक मे अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिये।

		शिकायतकर्ता ने कन्ट्री एण्ड टाउन प्लानिंग विभाग, हरियाणा के अधिकारीगण तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की प्रति सख्त कार्यवाही करने बारे अनुरोध किया है, ताकि अन्य को भी सन्देश मिल सके कि स्वच्छता अभियान सिर्फ दिखावा नही, जिम्मेदारी है। नोटः–(बैठक दिनांक 19.05.2017 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी बैठक में हाजिर आया। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त शिकायत को गम्भीरता से लिया गया और यह निर्देश दिए कि उपमण्डल अधिकारी (ना0), बड़खल, सिनीयर टाउन प्लानर, अधीक्षक अभियन्ता, हुडा, क्षेत्रिय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, एवं दो गैर सरकारी सदस्य श्री सुधीर नागर निवासी गांव नचौली, पी0ओ0–खेडीकलां मो0 नं0–9810229226 व श्री प्रकाश भाटी निवासी मकान नं0 2154, सैक्टर–7, डी, फरीदाबाद मो0नं0– 9911555312 को शामिल करके एक कमैटी गठित की। कमैटी को निर्देश दिए कि कमैटी 15 दिन के अन्दर–2 सामाधान करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जो डिस्पोजल का पानी जाता है उसका डिसचार्ज भलिभाति करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि पानी सड़को पर ना फैले । शिकायत को लम्बित रखने के निर्देश दिए। नोटः–(बैठक दिनांक 11.09.2017 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये कि जो बिल्डर शर्ते पूरी नही करते तो कम्पीलिशन सर्टिफिकेट कैसे दे दिये गये। डी.टी.पी. को बिल्डरो के खिलाफ कार्यवाही करे तथा गन्दे पानी के टैकरों पर जी.पी.एस. सिस्टम लागू किया जाये जो भी टैंकर बिना जी.पी.एस.सिस्टम मिला तो उसे जब्त कर लिया जाये तथा टैंकरो का पानी मिर्जापुर स्थित सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट में खाली किया जाये तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिये।	खुले में पानी नही छोडा जा रहा है। श्री वरूण श्योकन्द द्वारा माननीय एन.जी.टी. कोर्ट दिल्ली में केस दायर किया गया जिसपर माननीय कोर्ट ने प्रत्येक कोलोनाईजरों पर पांच लाख जुर्माना लगाया। कुछ कोलोनाईजरों द्वारा राशि जमा करवा दी गई है तथा माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार उपायुक्त महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन भी गया है। अतः मामला sub judice है शिकायत को फाईल किया जाना उचित है।	

पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद।				
3	सरिता निवासी गांव बदरौला, तिगांव, जिला फरीदाबाद मो0– 7065767487 पत्र क्रमांक 1565 / शिकायत दिनांक 08.09.2017	परिवादीया की शिकायत है कि मैंने एक दरखास्त पुलिस आयुक्त फरीदाबाद को दिनांक 29.08.2017, नं0 2542–सी.पी. को दी थी जिस दरखास्त पर उचित धारा में मुकदमा दर्ज न करके दूसरी धाराओं में मुकदमा दोषीयों के खिलाफ दर्ज किया है। थाना एस. एच.ओ. तिगांव फरीदाबाद जिसका नं0 131 दिनांक 29.08.2017 है, मैं चाहती हूँ कि मेरे उस केस में कार्यवाही डी.सी.पी बल्लबगढ़ द्वारा करवाई जाये जिससे मेरे केस की सही सुनवाई हो सके। मैंने जो रिसेन्टली एप्लीकेशन दी थी उस पर एस.एच.ओ. तिगांव ने कार्यवाही नही की। अतः मेरी कार्यवाही डी. सी.पी बल्लबगढ़ द्वारा करवाई जाये। आपकी अति कृपा होगी। **नोटः–(बैठक दिनांक 11.09.2017 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादीया बैठक में हाजिर आई तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा मौके पर दी गई रिपोर्ट अनुसार अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये कि आरोपियों को जल्द गिरफतार किया जाये तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिये।**	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि इस सम्बन्ध मे अभियोग सख्यां 131 दिनांक 29.08.2017 धारा 323,506,34 भा.द.स. थाना तिंगाव अंकित है मुकद्मा में नामजद आरोपी सुबोध पुत्र मामचन्द निवासी गांव महमूद पुर थाना तिंगाव फरीदाबाद को दिनांक 15.09.2017 को गिरफ्तार करके दिनांक 16.09.2017 को पेश अदालत किया गया जो आरोपी सुबोध माननीय अदालत से जमानत पर है मुकद्मा का चालान जल्द ही तैयार करके माननीय न्यायालय में दिया जाएगा।	परिवादिया बैठक में हाजिर आई तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा मौके पर दी गई रिपोर्ट अनुसार अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये कि पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय फरीदाबाद व श्री एम.सी. मितल गैर सरकारी सदस्य की कमेटी का गठन करके जांच पडताल करके रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करे तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिये।
4	श्रीमति कंवल जीत पत्नी स्व0 ई. ए.एस.आई श्रवण नीर नं0 2063, निवासी म0 नं0 97, पुलिस लाईन सैक्टर–30, फरीदाबाद पत्र क्रमांक 1208 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादीया की शिकायत है कि मेरे पति ई.ए.एस.आई श्रवण नीर नं0 2063 हरियाणा पुलिस फरीदाबाद में कार्यरत थे। दिनांक 29.01.2016 को नेशनल हाईवे बल्लबगढ़ पर डयूटी पर थे तो सुबह करीब 04:00 बजे एक ट्रक तेजगति और लापरवाही से सडक के किनारे खडे एक बिजली के खम्बे में टक्कर मारी जिससे की बिजली का खम्बा मेरे पति पर गिर गया और मेरे पति शहीद हो गये। मेरे पति अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी डयूटी पूरी की। लेकिन सरकार ने ना ही तो उन्हे शहीद का दर्जा दिया और	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि सरकारी मृतक कर्मचारी को शहीद का दर्जा देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.05.2014 के अनुसार स्पष्ट है कि ''शहीद सरकारी कर्मचारी से अभिप्राय है कि हरियाणा सरकार का पुलिस कार्मिक या सिविल कर्मचारी जो कानून तथा व्यवस्था कर्त्तव्यों प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तथा अन्य मानव जीवन को बचाने के दौरान, सामाजिक विरोधी तत्वों डकेतों अपराधियों आंतकवादियों तथा उग्रवादियों तथा विद्रोहियों से	परिवादी बैठक में हाजिर नही आई विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त पाया गया कि यह मामला विभागीय पोलिसी से सम्बन्धित है जिस कारण अध्यक्ष महोदय ने शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।

		ना ही मेरी और मेरे परिवार की किसी प्रकार की सहायता की। मेरे परिवार में किसी के पास रोजगार नही है और मैं सरकारी आवास जोकि मेरे पति को मिला हुआ था, के अलावा और कोई जमीन या मकान नही है। अतः मुझे सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान की जाये तथा मेरी फरियाद पर जल्द से जल्द कार्यवाह की जाये।	लडने में बहादुरी दिखाते हुए तथा असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए मारा गया है। साधारण अवस्था में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नही है और सरकार की हिदायतों के अनुसार आश्रितों को केवल एक वर्ष तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी गई है।	
5	श्री अमर पाल शर्मा विनय आहूजा समस्त पुरानी प्रैस कालोनी, फरीदाबाद। पत्र क्रमांक 1189 / शिकायत दिनांक 08.08.2017 पत्र क्रमांक 1209 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि पुरानी प्रैस कालोनी में काम करने वाले वर्कर ने करीब 02 वर्ष से इस जमीन पर चादर वगैरहा लगाकर लाउंड स्वीपर लगाकर आरती वगैरहा करनी शुरू कर दी है जिससे स्कूली बच्चो की पढाई व आस–पास के लोग बहुत परेशान है। इस बारे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर चुके है परन्तु आज तक कोई सुनवाई नही हुई है। हम आसपास में रहने वाले महिलाये, बच्चों की प्रार्थना है कि इन गुडो से इस जगह को खाली कराया जाये ताकि शांति के साथ लोगो का रहना ठीक हो सके। इस सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है।	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि परिवाद के सम्बन्ध में सरकारी जमीन पर साई मन्दिर बना हुआ है परिवादी मन्दिर को हटवाना चाहता है यह परिवाद नगर निगम से सम्बन्धित होने के कारण उन्हे भेज दी गई है। लेकिन नगर निगम कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय पुलिस विभाग की रिर्पोट से सहमत हुए परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध के मध्यनजर कि मंदिर जो कि नगर निगम की जमीन पर बना हुआ है उस पर सयुक्त आयुक्त नगर निगम एन.आई.टी को निर्देश दिये कि वह कार्यवाही करके आगामी बैठक में रिर्पोट प्रस्तुत करे तथा शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिए।
पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद / जिला कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद।				
6	श्री सुरेश चन्द जाटव पुत्र श्री प्रभाती निवासी जी–137, एस0जी0एम0 नगर, फरीदाबाद मो0– 9650035703 पत्र क्रमांक 1576 / शिकायत दिनांक 14.09.2017 पत्र क्रमांक 1201–02 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि मैं श्री सिद्धदाता आश्रम, बडकल मार्ग में पेंटर का कार्य कर रहा था। दिनांक 11.06.2016 को करीब 10–00 बजे मिथलेश मैनेजर श्री सिद्धदाता आश्रम ने मुझे दूसरी जगह काम करने के लिए तुरन्त चलने के लिए कहा तो मैने कुछ समय पश्चात ही दूसरे कार्य को कर पाऊंगा इस पर नाराज होते हुए मुझे थप्पड मारा व जाति सूचक शब्दों से गाली दी और अभद्र व्यवहार किया जिसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारीयों को दी तथा सूरजकुण्ड फरीदाबाद में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पर कोई	जिला कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति निर्वारण अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। श्री सुरेश चन्द जाटव से सम्बन्धित एफ.आई.आर. पुलिस थाना सूरजकुण्ड में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन सबूतो के अभाव में पुलिस द्वारा दिनांक 26.11.2016 द्वारा एफ.आई.आर. रद्ध कर दी गई। इस सम्बन्ध में उनके कार्यालय में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये इसके अतिरिक्त पुलिस आयुक्त फरीदाबाद को यह निर्देश दिये की झूटी शिकायत करने के कारण शिकायतकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

		कार्यवाही नही की है। इसके बाद मुझे मोबाईल नं0 9873423580 से धमकी मिली कि जो तूने रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसे वापस ले ले। वरना तुझे व तेरे परिवार के साथ अच्छा नही होगा। अतः मेरी शिकायत पत्र पुलिस चौकी फरीदाबाद हरियाणा को दी थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही करते हुए मेरे परिवार की रक्षा व दोषीयों के विरूद्व कार्यवाही की जायें	2. पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि अभियोग सख्या 619 दिनांक 25.09.2016 धारा 323,34 भा.द.स. व 3/4एस.सी.एस.टी. एक्ट थाना सूरजकुण्ड थाना में दर्ज किया गया तफतीश के दौरान कोई सच्चाई नही पाये जाने पर दिनाक 26.11.2016 को अखराज रिपोर्ट लिखी जा चुकी है।	
पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद/उपश्रम आयुक्त, फरीदाबाद				
7	श्री राम नरेश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री राजी नन्दन शाह निवासी म0 नं0 87, न्यू इन्द्रा कम्पलेक्स, मवई रोड, फरीदाबाद पत्र क्रमांक 1520–21/शिकायत दिनांक 05.12.2017	परिवादी की शिकायत है कि दिनेश कपूर की कोठी पर पूरे डिजाईन के पत्थर व पत्थर की घिसाई का कार्य 08 से 14 लेबर तक काम पर लगाये थे, जिस पर दिनेश कपूर की तरफ मेरे मु0 12,00,000/–रू0 बकाया है जोकि मेरे पैसे देने से मना करता है और मु0 80,000/–रू0 की मेरी पांच मशीन अपने पास रोक रखी है। मैंने उपरोक्त दोषी की शिकायत सी0एम0 विण्डो व पुलिस आयुक्त को भी कर चुका है, लेकिन अभी तक मेरी किसी भी दरखास्त पर कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई है। मैं अपने पैसे मांगने के लिए दिनेश कपूर से सम्पर्क करता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि तेरे कोई पैसे नही है। अतः उपरोक्त दोषी से मेरे पैसे दिलाये जाये तथा जानमाल की रक्षा की जाये।	सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल–1, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है शिकायतकर्ता तथा मालिकान से बातचीत की गई। दोनों ने अपने पक्षो में ब्यान किए। शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरी शिकायत में दिये गये तथ्य बिल्कुल सही व सत्य है तथा मालिकान पक्ष श्री दिनेश कपूर की तरफ से प्रतिनिधि ने ब्यान किए कि शिकायत झूटी व बे–बुनियाद है, जिस पर कोई समाधान नही हो सका। श्रम विभाग शिकायतकर्ता को सलाह देता है कि वह सक्षम न्यायालय में केस दायर करे क्योंकि यह ओद्योगिक मामला ना होकर गृह निर्माण का मामला है जो श्रम विभाग की परिधि से बाहर है। 2. पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि परिवादी राम नरेश व प्रतिवादी दिनेश कपूर कोठी न0 8 सैक्टर 21सी को शमिल करके कथन अंकित किये गये। दौराने जांच परिवादी के बयान के अवलोकन पर पाया गया कि राम नरेश ने दिनेश कपूर की कोठी पर गिसाई का काम किया था जो कि 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है परिवाद के हिसाब से दिनेश कपूर की तरफ गिसाई व लेबर के 50,21,568/– रू का काम किया था परिवादी	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने श्रीमति सीमा त्रिखा विधायक बडखल विधानसभा की अध्यक्षता में श्री आनद कान्त तथा श्री मूल चन्द मितल गैर सरकारी सदस्य परिवाद कमेटी की कमेटी का गठन करके शिकायत की विस्तृत जांच करके रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिये।

			को 28लाख 13 हजार मिल चुके व 13 लाख का हिसाब बकाया है परिवादी व प्रतिवादी का कोई झगडा नही हुआ है प्रतिवादी दिनेश कपूर के बयान से पाया गया कि उसने अपने घर गिसाई का काम करवाया उसने परिवादी को 28 लाख 13 हजार लेबर के दिये तथा राम नरेश द्वारा कीमती पत्थर तोड कर काम बीच में छोड दिया गया अब कोई हिसाब–किताब बकाया नही है। परिवाद हजा का सम्बन्ध श्रम विभाग का पाया गया है।	
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फरीदाबाद / बल्लबगढ।				
8	श्री जगत सिंह पुत्र श्री दलबीर सिंह निवासी गांव पाली, तहसील व जिला फरीदाबाद मो0–9711780064 CMOFF/N/2017/071933 पत्र क्रमांक 1195 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि ग्राम पंचायत गांव नेकपुर के आशा पुत्र श्री राजन के घर से लेकर मन्दिर तलाब तक इन्टर लोंकिन रास्ता व नालियां सन् 2014–15 से बनाई थी जिसकी एम0बी0 व बिल वगैरा ग्राम पंचायत गांव नेकपुर के पास जमा करा दिये है परन्तु मुझे मेरे किये गये कार्य की अभी तक कोई भी पेमेंट नही मिली है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे मेरे किये गये उपरोक्त कार्य की बिल अनुसार पेमेंट का भुगतान करवाया जाये।	खण्ड विकास एंव पचायत अधिकारी ने रिपोर्ट की है कि उक्त रास्ते के किये गए कार्य की अदायगी हेतू संरपच ग्राम पंचायत नेकपुर को इस कार्यालय द्वारा लिखा गया लेकिन आज तक उपरोक्त अदायगी नही की गई है शिकायतकर्ता को दस्तावेज सहित कार्यालय में बुलाया गया लेकिन वह नही आया ग्राम पंचायत नेकपुर ने उक्त रास्ते के लिए प्रस्ताव न0–1 दिंनाक 25.11.2014 को पास किया था जगत सिंह द्वारा यह कार्य शुरू किया गया उस वक्त केस बुक के अनुसार फण्ड में केवल 1992 / –बकाया थे यह रास्ता भूतपूर्व सरंपच के धर के आगे गुजरता है जिससे प्रतित होता है कि सरपंच नेकपुर ग्राम पंचायत ने अपनी मर्जी व चुनावी फायदे के लिए कार्य करवाया जो कि मु0 12,27,705 / – का कार्य था। ठेकेदार को पंचायत द्वारा कोई लिखित में आदेश नही दिये गये तकनीकी हिदायतानुसार कार्यकारी अभियंता पंचायती राज द्वारा कोई प्राकलन तैयार नही किया गया लेकिन कनिष्ट अभियंता पंचायती राज द्वारा	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने उक्त मामले में आर्थिक नुकसान व अनियमिताओं के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, फरीदाबाद को आदेश दिये कि वह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नेकपुर के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाते हुए मु0 12,27,705 / –की वसूली करे तथा शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।

			एम0बी0 भरी जा चुकी है सरकार की हिदायत अनुसार यदि पंचायत फण्ड में पैसा नही है तो कार्य करवाना उचित नही है। उक्त अदायगी की जिम्मेवारी भूतपूर्व सरंपच की बनती है। उक्त मामले में जिला परिवाद कमेटी के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	
9	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन पाल निवासी गांव मोहना, तहसील बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद मो0–9416056031 CMOFF/N/2017/053144 पत्र क्रमांक 1198 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि पूर्व सरपंच श्रीमति सुषमा देवी द्वारा ग्राम पंचायत मोहना में पंचायती जमीन, जोहड, मवेसी और कवाडे के समान पट्टों, हाउसिंग बोर्ड कालोनी की नालिया तथा जाटव मौहल्ले में जमना नदी की तरफ नाले आदि तथा अन्य पंचायती कामों में लाखो / करोडो रूपयों के गवन करने बारे शिकायत की जांच विजलेन्स चण्डीगढ़ व क्राईम बांच चण्डीगढ़ से करवाने बारे अनुरोध किया है तथा अपने व अपने परिवार की जान–माल की रक्षा बारे भी अनुरोध किया है।	खण्ड विकास एंव पचायत अधिकारी बल्लबगढ ने रिपोर्ट की है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में पाया गया है कि पूर्व सरपंच द्वारा अपने कार्यकाल में करवाये गये कार्यो में अनियमितता पाई गई परन्तु कोई गबन सिद्ध नही होता है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने जिला विकास एंव पचायंत अधिकारी को निर्देश दिये कि वह कार्यो में पाई गई अनियमिताओ के बारे में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।
कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, फरीदाबाद।				
10	श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री करण सिंह निवासी गांव बदरपुर सैद, फरीदाबाद मो0–8800574950 CMOFF/N/2017/068003 पत्र क्रमांक 1199 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि ग्राम पंचायत बदरपुर सैद मौहल्ले के लोगो के विरोध के बावजूद भी नालियां ऊंची करवाने के कारण जल भराव की समस्या का सामना करना पड रहा है तथा परिवादी के खेत के साथ लगती 100 फीट दीवार का निर्माण करवाकर लगभग एक महीने में दीवार का आधा हिस्सा गिर पडा तथा दोबारा निर्माण करवाने उपरान्त भी फिर से दीवार गिरने से फसल का नुकसान हुआ तथा नालिया ऊंची करवाने के कारण नालियों का पानी खेतों की फसल खराब हो रही है तथा पंचायत की मिली भगत से से हो रहे इस भ्रष्टाचार पर कानूनी कार्यवाही की जाए व साथ ही मेरे नुकसान की क्षति पूर्ति पंचायत द्वारा कार्यवाही जाए।	कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि शिकायत का समाधान करके शिकायतकर्ता का संतुष्टी पत्र इस कार्यालय में भिजवाया है तथा शिकायत को फाईल करने बारे अनुरोध किया है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।

नायब तहसीलदार, तिगांव।				
11	श्री मुन्शीराम पाराशर पुत्र स्व0 श्री खैमचन्द पारासर निवासी पाराशर बस्ती, कौराली मोड गावं तिगांव, फरीदाबाद मो0—8510851485 CMOFF/N/2016/067739 पत्र क्रमांक 1196 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि गांव तिगांव में बने मैन रोड (सडक) जिसका खसरा नम्बर 222/1 है, की जुनहैडा मोड से लेकर कौरानी मोड व मंझावली मोड से होते हुए भैंसरावली मोड तक पैमाईश कराई जाए व इस रोड के रकबा में बनी हुई नाजायज तामीरात को तुडवा कर सरकारी रास्ता को साफ करवाये जाये तथा उक्त सभी कार्य पंचायत मिली भगत से सम्भव हुए है। अतः नजायज कब्जों को हटवाने का अनुरोध किया है ताकि गांव में शांति बनी रहे।	उप तहसीलदार तिगांव ने रिपोर्ट की है कि गिरदावर हलका द्वारा दिनांक 14.09.2017 को निशानदेही कर दी गई है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने जिला विकास एंव पचायंत अधिकारी को निर्देश दिये कि वह नाजायज कब्जे हटवाकर आगामी बैठक में रिर्पोट प्रस्तुत करे तथा शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।
आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद।				
12	Smt. Sweta Krishnan R/o C-603, BPTP Princess Park Tigaon Road, Sector-86, Faridabad मो0—9711502234 CMOFF/N/2016/001687 पत्र क्रमांक 1210 / शिकायत दिनांक 11.10.2017	Complainant is complaining that land Pollution on the area adjacent to the canal near Kheri Pul to Sector-86, Faridabad. There is a lot of foul smell & also contamination of underground water and the canal water. Also it is a very bad, filthy looking landscape. So as to preserve such a huge and beautiful natured resource from depleting. Please take a note of one request and request your execution teans to act on the ground.	आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि खेडी पुल से आगरा नहर का जो एरिया है वह हुडा के अन्तर्गत आता है और जो जमीन पर पानी भरा हुआ है वह उत्तर प्रदेश नहर विभाग की मलकीयत है। अतः यह मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भेजा जाना उचित होगा। **नोटः— यह मामला सी0एम0विंण्डो पर लम्बित चला आ रहा है जो कि पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद को भी भेजा गया लेकिन उनकी रिपोर्ट अनुसार यह नगर निगम से सम्बन्धित है।**	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग फरीदाबाद को आदेश दिये की उक्त मामले में मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग हरियाणा/उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियो को उपायुक्त महोदय के माध्यम से अर्ध सरकारी पत्र लिखे तथा शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।
13	श्री दीपक शर्मा, रोकश शर्मा व अन्य निवासी गली नं0 6. ब्लॉक—सी, एस.जी.एम. फरीदाबाद। पत्र क्रमांक 1003 / दिनांक 14.09.2017	परिवादी की शिकायत है कि गली नं0 6. ब्लॉक—सी, एस.जी.एम. फरीदाबाद का निवासी हॅ। यह कि टयूबवैल चौधरी महेन्द्र प्रताप जी ने गली नं0 6 में यह लगना था परन्तु गली नं0 5 में लगाया गया। आपको यह बताना चाहते है कि गली नं0 5 में 2 टयूबवैल है और अन्य सभी गलियो में भी है। परन्तु गली नं0 6 में कोई टयूबवैल नही है। हमें पानी केवल गली नं0 5 से मिलता है। अतः हमारी समस्या का समाधान जरूर	आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि गली नं0 6. ब्लॉक—सी, एस.जी.एम. फरीदाबाद पर टयूबवैल लगाने की उचित जगह ना मिलने के कारण गली नं0 5 में आस—पास के लोगो की सहमति के अनुसार लगाया गया। इस टयूबवैल का कनैक्शन वाटरसप्लाई की मैन डिस्ट्रीवूसन लाईन से जोडा गया, जिससे अन्य गलियों की लाईन भी इससे जोडी गई हुई है, जिससे पानी की सप्लाई	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभाग को टयूबवैल जल्द से जल्द चालु करने तथा शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।

		करेगे।	की जा रही है तथा 22 फुट रोड पर ए.डी.सी. विभाग द्वारा एक टयूबवैल भी लगाया हुआ है तथा एस.जी.एम. नगर के इलाके की पानी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सैक्टर–48 में पांच लाख गेलन कैपसिटी का टैंक बनाया हुआ है जो कुछ दिनों बाद चालू कर दिया जायेगा।	
14	श्री मामचन्द पुत्र श्री दुलिया निवासी म0 नं0 251, जवाहर कालोनी, एन.आई.टी. फरीदाबाद। पत्र क्रमांक एल.एफ.ए. /2017/1176 दिनांक 05.07.2017 पत्र क्रमांक 1207/ दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि मेरे मकान के साथ लगते हुए म0 नं0 129/32 में एक वर्कशॉप लगाई हुई है जिससे मशीनों से काफी कम्पन/शोर होता है जिस कारण मेरे मकान की दीवारो व छत में दरारे आ गई है। वर्कशॉप के मालिक से बात करने व समझाने की कोशिश की परन्तु यह कहकर वर्कशॉप नही हटाउंगा और तुझे जो करना है कर ले। अतः उपरोक्त वर्कशॉप की किसी व्यवसायिक क्षेत्र में स्थापित कर मेरी व मेरे परिवार की जान माल की रक्षा की जाये।	आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि उनके द्वारा वर्कशॉप की स्वीकृति दी गई है तथा इस प्रकार की गतिविधियां इस क्षेत्र में काफी चल रही है। रिहायशी क्षेत्र में चल रही वर्कशॉप जिसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है। इस मामले में न्यायालय द्वारा हरियाणा सरकार को पोलिसी बनाने के आदेश दिये थे। सरकार द्वारा दिनांक 04.10.2016 को इस सम्बन्ध में पोलिसी बना दी गई। अब इन वर्कशॉप को शिफ्ट/बन्द करने के लिए सर्वे की जानी है। सर्वे की रिपोर्ट आने उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी तथा शिकायतकर्ता व वर्कशॉप मालिक का कोर्ट में केस चल रहा है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये क्योकि मामला न्यायलय से सम्बन्धित है।
15	रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, सैक्टर–23, फरीदाबाद पत्र क्रमांक 1597/शिकायत दिनांक 27.11.2017	परिवादीगण की शिकायत है कि सैक्टर 23 की जमीन पर अवैध रूप से तबेला चला रखा है जिससे गोबर व गंदगी के कारण बिमारीयां व सीवर जाम की समस्या और निगम को आर्थिक रूप से चूना लगा रहे है। हम सभी सैक्टरवासी इनकी गुण्डागर्दी से तंग आकर निवेदन करते है कि हमारी मदद करे और इस अवैध रूप से हो रहे कब्जे कर निजात दिलाई जाये।	आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि डयूटी मैजिस्ट्रेट की देख–रेख में पुलिस बल के साथ उक्त जमीन को खाली करवा दिया गया है।	परिवादी बैठक में हाजिर आये। परिवादियो को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने आयुक्त नगर निगम को आदेश दिये कि वह जमीन जिसकी मलकियत निगम कि है उस पर चार दीवारी बनवा कर बोर्ड लगवाए तथा बैठक में उपस्थित सभी विभागो के अधिकारियो को निर्देश दिये कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित भूमि जिसकी मलकियत उसके नाम है उसकी सूची तैयार करे तथा उस भूमि

				पर अपनी मलकियत के शाईन बोर्ड लगवाए ताकि अवैध कब्जे ना हो सके तथा सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। तथा शिकायत को लम्बित करने के आदेश दिये।
अतिरिक्त उपायुक्त/जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, फरीदाबाद।				
16	श्री सुरेन्द्र फौजदार, प्रधान व वगैरा निवासी जी–369, तिरखा कालोनी, बल्लबगढ़ फरीदाबाद। पत्र क्रमांक 986/ दिनांक 14.09.2017 पत्र क्रमांक 1206–07/ दिनांक 11.10.2017	परिवादीगण की शिकायत है कि बल्लबगढ़ के 38 डिपो धारको ने कई महीनो से गेंहू, दाल व चीनी का पैसा जमा होते हुए भी हमारी संसपेन्ड कर दी गई व बोला गया कि जुलाई अगस्त के पैसे जमा नही है जोकि विभाग की जिम्मेदारी बनती है। डिपो धारको ने पैसे जमा होने पर गेहू व चीनी का उठवा कर फनफिड मे रखवाया जाना चाहिए क्योकि हमारी सरकार 65/–रू0 के हिसाब कुन्टल से कनफेड डिपार्टमैप्ट को ट्रांसपोर्ट का पैसा देती है। अतः उपरोक्त समस्याओ के मध्यनजर हमारी उक्त समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जायें।	अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि अब डिपो हिल्डरों की सभी जायज समस्याओं का समाधान हो चुका है। शिकायत को फाईल करने की सिफारिश की है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके शिकायत की जांच करने के आदेश दिये तथा मामला लम्बित रखा और शिकायतकर्ता को निर्देश दिये कि वे अपना क्लेम फार्म जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, फरीदाबाद को तुरंत प्रस्तुत करे।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, फरीदाबाद।				
17	श्री मानव निवासी बाल्मिकी बस्ती, ओल्ड फरीदाबाद पत्र क्रमांक 972/शिकायत दिनांक 14.09.2017 पत्र क्रमांक 1197/शिकायत दिनांक 11.10.2017	परिवादी की शिकायत है कि ओल्ड फरीदाबाद में भीम बस्ती व बाल्मिकी बस्ती के दलित लोगो की बस्ती है और मेहनत मजदूरी करके रहते है। यहां कई परिवार सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन पर निर्भर करते है। परन्तु ये राशन इन दोनों मौहल्लो में चल रहे दो राशन डिपो पर आता है तो पता नही राशन की मात्रा, समय व राशन मिलने की सूचना कहां रह जाती है। ना तो डिपो का खुलने का कोई समय और ना ही सूचना देने का तरीका है। बाल्मिकी बस्ती वाला डिपो की तो जगह ही निर्धारित नही है। लगभग 01 वर्ष से जनता को गुमराह किया जा रहा है कि इस महीने राशन में गेहू नही है, दाल नही है मैं एक गरीब	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, फरीदाबाद ने रिपोर्ट की है कि शिकायतकर्ता व अन्य 40 व्यक्तियों को जांच में शामिल करके ब्यान लिये गये। उन्होने ब्यान दिए कि श्री राजू शर्मा डिपो धारक भीम बस्ती से ऑनलाईन अनुसार वह सही समय पर राशन मिल रहा है, अब उन्हे कोई शिकायत नही है तथा लोगो ने बताया कि मानव नाम का कोई व्यक्ति बाल्मिकी बस्ती में नही रहता है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, फरीदाबाद निर्देश दिये कि वह शिकायत की पुन जांच तथा डिपो होल्डरो का राशन से सम्बन्धित पूरा रिकार्ड चेक करके विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत करे। तथा शिकायत को लम्बित रखा गया।

		परिवार से हूँ। अतः निवेदन है कि आप जनता के बीच स्वयं निरीक्षण करे तो पता चलेगा कि जनता कैसे दुखी हैतथा उचित व्यक्ति को राशन डिपो सौपे।		
अधीक्षक अभियन्ता, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, फरीदाबाद।				
18	श्री कमल सिंह भाटी, लखन लाल व अन्य निवासी गांव छायंसा, जिला फरीदाबाद मो0– 7065767487 पत्र क्रमांक 1005 / शिकायत दिनांक 14.09.2017	परिवादी की शिकायत है कि गांव छायंसा सरकारी अस्पताल रोड गेल इण्डिया लिमिटेड रोड है। इस रास्ते पर 15–20 घर है जिनके मीटर लगे हुए है और केवल या बिजली डोरी 300 से 500 मीटर तक लम्बी लगी हुई है। फोल्ट होने पर बहुत दिक्कतो का सामना करना पडता है। अतः यहां एक ट्रांसफार्म रखवाने की कृप्या करे।	अधीक्षक अभियन्ता, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, फरीदाबाद रिपोर्ट की है कि गांव छायासा में शिकायत का निपटान **म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम** के तहत कर दिया है शिकायतकर्ता तथा गांव वाले संतुष्ट है।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।
क्षेत्रिय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, बल्लबगढ़।				
19	श्री विजय कुमार पुत्र श्री खजान सिंह निवासी हीरापुर बल्लबगढ़ मो0– 7835864457 पत्र क्रमांक 1576 / शिकायत दिनांक 14.09.2017	परिवादी की शिकायत है कि गांव हीरापुर में गोपाल पुत्र श्री छाजू ने दो आरा मशीन लगाई हुई है जो रिहायशी क्षेत्र में है तथा मेरे मकान से लगती है। ये दोनो मशीने सारे दिन वायु प्रदूषणएवं ध्वनि प्रदूषण होता है जोकि हमारा जीन दुर्लभ हो रहा है। मेरे परिवार को इन आरा मशीनों से बहुत ही ज्यादा परेशानी झेल रहा है जोकि मैं बच्चों का इलाज कराता हुआ काफी परेशान हो चुका हूँ। अतः इन अवैध आरा मशीनो को बन्द कराया जाये ताकि मेरा परिवार सुखचैन से जीवन व्यतीत कर सके।	क्षेत्रिय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, बल्लबगढ़ ने कि रिपोर्ट की है कि गोपाल मिल्स द्वारा दोनो आरा मशीन मौके से हटा ली गई है शिकायतकर्ता के पिता जी को बुलाया गया वे इस बात से सहमत हुए तथा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये।	परिवादी बैठक में हाजिर आया। परिवादी को सुनने उपरान्त एवं विभाग की रिपोर्ट देखने उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने शिकायत को फाईल करने के आदेश दिये।

उपायुक्त फरीदाबाद।